फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

दयाराम बनाम **बलदेव**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. **नम्बर** 89 **सन–2022**

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
18.05.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल संख्या 1/अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 233/106 की कुल 7.6750हैक भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नही किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 08.07.2022 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
24/5/22	वकील वादी ने निवेदन पत्र पत्रावली पेश हुई वकील सायल व सायल ने निवेदन किया की हम पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र नही चलाना चाहते वापिस करवाते। सायल स्वयं के द्वारा अप्रार्थी नही चलाने के कारण वापिस लिया गया है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो [signature]	दयाराम पदमाराम [signature]